भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-5306**
उत्तर दिनांक 25/03/2026 को दिया गया

## नाभिकीय विद्युत क्षमता का विस्तार

5306. डॉ. आलोक कुमार सुमन

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) निर्माणाधीन रिएक्टरों सहित वर्तमान नाभिकीय विद्युत क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अपनाए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2030 तक प्राप्त की जाने वाली निर्धारित लक्ष्य क्षमता का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) वर्तमान स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 8.78 गीगावाट (आरएपीएस-1 को छोड़कर) है। वर्तमान में 3500 मेगावाट क्षमता के पांच पीएचडब्ल्यूआर निर्माणाधीन हैं और 5600 मेगावाट क्षमता के आठ पीएचडब्ल्यूआर पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन हैं। कुल 4000 मेगावाट की क्षमता के चार पीडब्ल्यूआर निर्माणाधीन हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक क्रमिक पूर्ण करने की योजना है।

इसके अलावा, भाविनि वर्तमान में कल्पाक्कम, तमिलनाडु में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर (पीएफबीआर) परियोजना का कमीशनन कर रही है।

(ख) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं - जैसे कि स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की संहिताओं और दिशा-निर्देशों के अनुरूप नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अभिकल्प पुनरावृत्ति तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए किया जाता है और गहन संरक्षा सिद्धांत का अनुपालन करते हुए 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशेषताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इनका प्रचालन उच्चतम योग्य, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है।

(ग) भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए असैन्य नाभिकीय सहयोग हेतु 18 देशों के साथ अंतर सरकारी समझौते (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के क्रमिक पूर्ण होने पर वर्ष 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है।

*****